

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रश्वितखोरी पर वधायी छूट के संबंध में पुनर्विचार

### प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 105(2), अनुच्छेद 194(2), [संसदीय वशिषाधकार](#)

### मेन्स के लयः

संसद सदस्यों के वशिषाधकार

स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस

### चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वर्ष 1998 के 5 न्यायाधीशों की संवधान पीठ वाले [पी.वी. नरसमिहा](#) राव मामले को पुनर्विचार के लयः 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दया है ।

- यह मामला संवधान के [अनुच्छेद 105\(2\)](#) और 194(2) की व्याख्या से संबंधतः है, जो सदन में कसःी भी भाषण या वोट के लयः रश्वित के आरोप में आपराधकः मुकदमा चलाने के खलःाफ संसद तथा राज्य वधःानमंडल के सदस्यों को [संसदीय वशिषाधकार](#) एवं प्रतरःरःक्षा प्रदान करता है ।
- यह नरःणय एक वधःायक के खलःाफ रश्वितखोरी के आरोप से संबंधतः अनूय मामले में लयःा गया था, जसःिने [अनुच्छेद 194\(2\)](#) के आधःार पर आरोप पत्र और आपराधकः कारःयवाही को रदद करने की मांग की ।

### पी.वी. नरसमिहा राव बनाम राज्य (1998) मामला:

- मामला:
  - पी.वी. नरसमिहा राव मामला 1993 के झारखंड मुकतःाभोरचा (JMM) रश्वितखोरी मामले को संदरःभतः करता है । इस मामले में शबू सोरेन और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों पर ततःकालीन पी.वी. नरसमिहा राव सरकार के खलःाफ [अवशिवास प्रसूताव](#) के वरःिद्ध वोट करने के लयः रश्वित लेने का आरोप लगाया गया था ।
    - अवशिवास प्रसूताव महत्त्वपूर्ण राजनीतकः घटनाएँ हैं जो आमतौर पर तब घटतः होती हैं जब यह धारणा बनती है कःः सरकार बहुमत का समरःथन खो रही है ।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने संवधान के [अनुच्छेद 105\(2\)](#) के तहत छूट का हवाला देते हुए JMM सांसदों के खलःाफ मामले को रदद कर दया था ।
- संवधान के [अनुच्छेद 105\(2\)](#) और 194(2):
  - [अनुच्छेद 105\(2\)](#):
    - संसद का कोई भी सदस्य प्रतनःिधःि सभा या उसकी कसःी समतःि में कही गई कसःी भी बात या दयःि गए मत के संबंध में कसःी भी न्यायालय में कसःी भी कारःयवाही के अधःीन नहीं होगा और कोई भी वयःक्तः संसद के कसःी भी सदन द्वारा या उसके अधःकार के तहत कोई रःःिर्त, पेपर, वोट या कारःयवाही के प्रकाशन के संबंध में इस तरह के दायतःिव के अधःीन नहीं होगा ।
    - अनुच्छेद 105(2) का उददेश्य यह सुनशःिचतःि करना है कःः संसद के सदस्य, परणःामों के डर के बनाःि अपने कःःत्तवयों का पालन कर सकें ।
  - [अनुच्छेद 194\(2\)](#):
    - कसःी राज्य के वधःानमंडल का कोई भी सदस्य वधःानमंडल या उसकी कसःी समतःि में कही गई कसःी बात या दयःि गए वोट के संबंध में कसःी भी न्यायालय में कसःी भी कारःयवाही के लयःि उत्तरदायी नहीं होगा और वधःानमंडल के सदन के अधःकार के तहत कोई भी वयःक्तः कसःी भी रःिर्त, पेपर, वोट या कारःयवाही के ऐसे प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा ।

### सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का कारण:

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया क्योंकि इसे पी.वी. नरसमिहा राव मामले में अपनी पछिली 1998 की संवधान पीठ के नरिणय की सत्यता की पुनः जाँच करने की आवश्यकता महसूस हुई।
  - अनुच्छेद 105(2) और 194(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य अपनी अभिव्यक्तियाँ वोट के परिणामों के डर के बिना, स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
    - इसका उद्देश्य विधायकों को देश के सामान्य आपराधिक कानून से छूट के मामले में उच्च विशेषाधिकार नहीं देना है।

## संसदीय विशेषाधिकार:

### ■ परिचय:

- संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ एवं छूट हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त हैं।
  - ये विशेषाधिकार **भारतीय संवधान के अनुच्छेद 105** में परिभाषित हैं।
- इन विशेषाधिकारों के तहत संसद सदस्यों को अपने कर्तव्यों के दौरान दिये गए किसी भी बयान या किये गए कार्य के लिये किसी भी नागरिक दायित्व (लेकिन आपराधिक दायित्व नहीं) से छूट दी गई है।
  - विशेषाधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो।
  - सदस्यता समाप्त होने पर विशेषाधिकार भी समाप्त हो जाते हैं।

### ■ विशेषाधिकार:

- संसद में वाक्/ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
  - स्वतंत्रता संसद के सदस्य को प्रदान की गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग है।
    - भारतीय संवधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। हालाँकि यह स्वतंत्रता संसद की कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों और आदेशों के अधीन है।
  - सीमाएँ:
    - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवधान के अनुच्छेद 118 के तहत वर्णित संवैधानिक प्राधानों के अनुरूप और संसद के नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन होनी चाहिये।
    - भारतीय संवधान के अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि संसद के सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।
      - न्यायाधीश को अपदस्थ करने का अनुरोध करते हेतु राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखना- एक अपवाद है।
- गरिफ्तारी से स्वतंत्रता:
  - संसद की सीमा के भीतर गरिफ्तारी के लिये सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है।
    - कतिपय मामलों में संसद को नविक नरिध अधिनियम, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (Essential Services Maintenance Act- ESMA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), या ऐसे किसी भी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ आपराधिक आरोप की स्थिति में सदन की सीमा के बाहर गरिफ्तार किया जा सकता है।
  - संसद सदस्यों को सदन के स्थगन से 40 दिन पहले और बाद में या सत्र के दौरान किसी भी नागरिक मामले में गरिफ्तारी से छूट प्राप्त है।
    - यदि संसद के किसी भी सदस्य को हरिसत में लिया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा सभापति अथवा अध्यक्ष को गरिफ्तारी के कारण की सूचना देना अनिवार्य है।
- कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार:
  - संवधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सदन के सदस्य के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को सदन की कोई रिपोर्ट, चर्चा आदि प्रकाशित करने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
    - राष्ट्रीय महत्त्व के लिये यह आवश्यक है कि संसद में जो घटित हो रहा है, अर्थात् इसकी कार्यवाहियों की जानकारी जनता को होनी चाहिये।
- गैर-सदस्यों को बाहर रखने का अधिकार:
  - सदन के सदस्यों के पास मेहमानों और अन्य गैर-सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की शक्ति तथा अधिकार दोनों हैं। सदन में स्वतंत्र और निष्पक्ष बहस सुनिश्चित करने के लिये यह अधिकार काफी महत्त्वपूर्ण है।